रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012021-224756 CG-DL-E-28012021-224756

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] No. 43] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

सं. 1/2021-सीमाशुल्क

सा.का.िन. 52(अ).—जहां कि "पॉलीब्यूटाडीन रबर" (एतद्पश्चात विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4002 20 00 के अंतर्गत आता है, से संदर्भित किया गया है) ने भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है, के आयात संबंधी मामले पर व्यापार उपचारों के महानिदेशक (एतद्पश्चात प्राधिकरण (द्विपक्षीय सुरक्षा उपायों) नियमावली, 2017 (एतद्पश्चात उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है।) की शर्तों के अनुसार दिनांक 07 नवम्बर, 2019 को अधिसूचना मि.सं. 22/7/2019-डीजीटीआर के तहत एक द्विपक्षीय सुरक्षा जांच की शुरूआत की है जिसे दिनांक 07 नवम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण में यह निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया था कि क्या कोरिया गणराज्य से विषयगत माल का आयात बढ़ गया है और क्या ऐसे मढ़े हुए आयात से घरेलू उद्योगों को किसी प्रकार की क्षति या किसी गंभीर क्षति का खतरा है:

और जहां कि द्विपक्षीय सुरक्षा जांच पर प्राधिकरण के प्रारम्भिक परिणामों, जिसे मि.सं. 22/7/2019-डीजीटीआर, दिनांक 12 मई, 2020 के तहत दिनांक 12 मई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के आधार पर केन्द्र सरकार ने विषयगत माल पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 31/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 12 जुलाई, 2020 के तहत अनंतिम द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय लगाए हैं जिसे सा.का.नि.

560 GI/2021 (1)

444(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था। इसमें और आगे संशोधन करने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 152/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत संशोधन किया गया है जिसे सा.का.नि. 943(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था;

और जहां कि दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण में मि.सं. 22/7/2019-डीजीटीआर के तहत जारी किये शुद्धिकरण के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 37/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 जिसे सा.का.नि. 651(अ), दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत विषयगत माल से पॉलीब्यूटाडीन रबर के टाईटेनियम और लिथियम ग्रेड को अलग कर दिया है। इसके लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 152/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत और आगे संशोधन किये हैं जिसे सा.का.नि. 943(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था;

और जहां कि दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को मि.सं. 22/7/2019-डीजीटीआर को द्विपक्षीय सुरक्षा जांच के अंतिम परिणामों को दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, इसमें प्राधिकरण निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँची है-

- (i) कोरिया से उत्पाद का आयात बढ़ गया है और नियमावली और भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के अर्थ के अनुसार "बढ़े हुए आयात" के तहत आता है;
- (ii) बढ़े हुए आयात से घरेलू उद्योगों को गंभीर क्षति हुई है और गंभीर क्षति होने का खतरा बना हुआ है;
- (iii) भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत सीमाशुल्क के कम या हटाए जाने के कारण मूलतः उत्पादित माल के बढ़े हुए आयात और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति और गंभीर क्षति का खतरा होने के बीच एक आकस्मिक संबंध है;

और दिनांक 12 मई, 2020 को अधिसूचना सं. मि.सं 22/7/2019-डीजीटीआर में जारी करके इसके प्रारम्भिक परिणामों की पृष्टि की गई है और इस पर कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित और भारत में आयातित विषयगत माल पर सीमाशुल्क के द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय को लगाए जाने की सिफारिश की गई है जैसा कि उक्त अंतिम परिणामों में विनिर्दिष्ट किया गया है, इसे केन्द्र सरकार की अधिसूचना सं. 31/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 13 जुलाई, 2020 को जारी किये जाने की तारीख से अनंतिम उपाय किए गये हैं।

अतः अब सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पिठत उक्त नियमावली के नियम 11 और 12 के उपनियम (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा किया जाना जनहित में आवश्यक है, दिनांक 13 जुलाई, 2020 से अनंतिम द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय के प्रभाव की पृष्टि करती है और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 152/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत और आगे संशोधन करती है जिसे सा.का.िन. 943(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(I) तालिका में,

- (i) क्रम सं. 342ख के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टियों "क्रम संख्या 342क या 342ग के समक्ष उल्लिखित से भिन्न वस्तुएं" को प्रतिस्थापित किया गया है;
- (ii) क्रम सं. 342ख और इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया गया है, यथा-

(1)	(2)	(3)	(4)
"342ग.	400220	पॉलीब्यूटाडाइन रबर, टाइटेनियम और लिथियम ग्रेड को छोड़कर	7.50";

(II) "बशर्ते और भी कि" से प्रारम्भ होने वाले भाग और "यदि इससे पहले वापस नहीं लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं होता है या इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है।" से समाप्त होने वाले शब्दों के लिए निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, निम्नलिखित सारणी के बाद दिए गए पहले परंतुक के पश्चात्, यथा:-

"बशर्ते इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय को प्रभावी करने के लिए जैसा कि व्यापार उपायों के महानिदेशक ने सिफारिश की है.-

- (i) उक्त तालिका में क्रम सं. 342 और इससे संबंधित प्रविष्टियों की कोई भी बात 12 जुलाई, 2022 तक और जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रभावी नहीं होगी;
- (ii) उक्त तालिका में क्रम सं. 342क की प्रविष्टियों का प्रभाव 12 जुलाई, 2021 तक और जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक होगा:
- (iii) उक्त तालिका में क्रम सं. 342ख की प्रविष्टियों का प्रभाव 12 जुलाई, 2022 तक और जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक होगा;और
- (iv) उक्त तालिका में क्रम सं. 342ग की प्रविष्टियों का प्रभाव 13 जुलाई, 2021 से 12 जुलाई, 2022 (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) तक होगा;

जब तक कि पहले निरस्त, अतिक्रमण या संशोधन न किया जाए।"

[फा. सं.354/53/2020-टीआरय]

जैनेन्द्र सिंह कंधारी, उपसचिव

नोटः प्रधान अधिसूचना सं.152/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को सा.का.नि. 943 (अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 44/2020-सीमाशुल्क, दिनाँक 18 दिसम्बर, 2020, जिसे सा.का.नि. 777(अ), दिनाँक 18 दिसम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2021

No. 1/2021-Customs

G.S.R 52(E).—Whereas, in the matter concerning imports of "Polybutadiene Rubber" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 4002 20 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), the Directorate General of Trade Remedies (hereinafter referred to as the Authority) initiated an Bilateral Safeguard investigation in terms of the India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) *vide* initiation notification under F.No.22/7/2019-DGTR, dated the 7th November, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 7th November, 2019 in order to determine whether the imports of the subject goods from Korea RP constitute increased imports and whether the increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic industry;

And whereas, on the basis of the preliminary findings of the Authority in the Bilateral Safeguard investigation issued *vide* F.No.22/7/2019-DGTR, dated the 12th May, 2020, published in the Gazette of India,

Extraordinary, dated the 12th May, 2020, the Central Government imposed provisional Bilateral Safeguard measure on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 31/2020-Customs, dated the 13th July, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 444(E), dated the 13th July, 2020 by making further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.152/2009-Customs, dated the 31st December, 2009, published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 943 (E), dated the 31st December, 2009;

And whereas, on the basis of the corrigendum issued by the Authority *vide* F. No. 22/7/2019-DGTR, dated the 9th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th September, 2020, the Central Government, excluded titanium and lithium grades of Polybutadiene Rubber from the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 37/2020-Customs, dated the 20th October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 651(E), dated the 20th October, 2020 by making further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.152/2009-Customs, dated the the 31st December, 2009, published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 943 (E), dated the 31st December, 2009;

And whereas, in the final findings of the Bilateral Safeguard investigation issued *vide* F. No. 22/7/2019-DGTR, dated the 22nd October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 22nd October, 2020, the Authority has concluded that-

- (i) imports of the product from Korea have increased and constitute "increased imports" within the meaning of the Rules and India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement;
- (ii) the increased imports have caused serious injury and threatened to caused serious injury to the domestic industry;
- (iii) there exists a causal link between the increased imports of the originating goods due to the reduction or elimination of custom duty under the India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement and serious injury and threat of serious injury to the domestic industry;

and has confirmed its preliminary findings issued *vide* notification No. F.No.22/7/2019-DGTR, dated the 12thMay, 2020, and recommended imposition of bilateral safeguard measure of increasing the rate of customs duty on subject goods originating in Korea RP and imported into India as specified in the aforesaid final findings, from the date of issue of the notification of imposition of provisional measure by the Central Government *vide* notification No. 31/2020-Customs, dated the 13th July, 2020.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with rule 11 and sub-rule (2) of rule 12 of the said rules, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, confirms the provisional bilateral safeguard measure imposed with effect from the 13th July, 2020 and hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.152/2009-Customs, dated the 31st December, 2009, published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 943 (E), dated the 31st December, 2009, namely: -

In the said notification, -

- (I) In the Table,
 - (i) against serial number 342B, for the entry in column (3), the entries "All goods other than those mentioned against serial number 342A or 342C", shall be substituted;
 - (ii) after serial number 342B and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"342C.	400220	Polybutadiene Rubber excluding titanium and lithium grades	7.50";

(II) For the portion beginning with the words "Provided further that" and ending with the words "unless revoked, superseded or amended earlier.", the following proviso shall be substituted, after the first proviso below the Table, namely: -

"Provided further that, to give effect to the bilateral safeguard measure, as recommended by the Director General of Trade Remedies, -

- (i) nothing contained in serial number 342 and entries relating thereto in the said table shall have effect up to and inclusive of the 12th day of July, 2022;
- (ii) the entries contained in serial number 342A in the said table shall have effect up to and inclusive of the 12th day of July, 2021;
- (iii) the entries contained in serial number 342B in the said table shall have effect up to and inclusive of the 12th day of July, 2022; and
- (iv) the entries contained in serial number 342C in the said table shall have effect from the 13th day of July, 2021 to the 12th day of July, 2022 (both days inclusive);

unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No.354/53/2020-TRU] JAINENDRA SINGH KANDHARI, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 152/2009-Customs, dated the 31st December, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 943 (E), dated the 31st December, 2009 and was last amended *vide* notification No. 44/2020-Customs, dated the 18th December, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 777(E), dated the 18th December, 2020.